

याचालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/22

दायरा तिथि : 24-01-2023

आदेश तिथि : 12-09-2023

प्रार्थी :-

प्रमुराम पुत्र मावाराम जाति गरासीया निवासी मुंगथला, आवूरोड जिला सिरौही

ब नाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 12-09-23

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 305 रकबा 0.2500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 306 रकबा 0.4700 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में पीला रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखी की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/7052 दिनांक 24.03.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह कि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 305 रकबा 0.25 हैक्टर की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री प्रमुराम पुत्र श्री मावाराम जाति गरासीया निवासी मुंगथला तह.आवूरोड जिला सिरौही के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में आवेदक प्रस्तावित रास्ते से ही आवागमन करता है।
2. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	306	0.4700	बारानी सोयम	57x9=513 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

3. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम कोठार की डी.एल.सी. दर 107447 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 305 रकबा 0.2500 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/7052 दिनांक 24.02.2023 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक.प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 305 रकबा 0.2500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध



उपखण्ड अधिकारी
जिला-पाली

1/02/1
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/22
 अनवान प्रनुराम वगैरा बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 306 रकबा 0.4700 हेक्टर में से 513 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति वर्ग मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 107447/-रूपये प्रति हेक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
306	0.4700	57x9=513 वर्गमीटर	11	5643x2= 11286	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 11286/- (अधारे ग्यारह हजार दो सौ छियासी रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति समी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री भागीरथ राम)
 आर.ए.ए.
 उपखण्ड अधिकारी, बाली
 दिनांक: 12-09-2023
 बाली (जिला-पाली) राज.

क्रमांक/कोर्ट/2023/508-512
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक प्रनुराम पुत्र मावाराम जाति गरासीया निवासी मुंगथला, तह. आबुरोड जिला सिरौही को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, बाली
 उपखण्ड अधिकारी, बाली
 बाली (जिला-पाली) राज.